

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/192089/BRB/BARABANKI/2007/CFO

दिनांक: 19-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SETH MR JAIPURIA SCHOOL RUN BY LALIT MOHAN TRUST JAUNPUR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO. 2004-1, 2004-2, 2005-1, 2005-2 SURSANDA,RASAULI AYODHYA LUCKNOW ROAD, BARABANKI** तहसील - **NAWABGANJ** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	4	0	15.60 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8424.45 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SETH MR JAIPURIA SCHOOL RUN BY LALIT MOHAN TRUST JAUNPUR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **20-03-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **K.K. SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-03-2026** से **22-03-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : 1. विद्यालय भवन भूतल से तृतीय तल में निर्मित है, भवन का ढांचागत/अधिभोग (आक्यूपेंसी) परिवर्तन/विस्तार कराये जाने के लिए अग्निशमन विभाग को सूचित/अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। **2.** भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा प्रणालियों को आकस्मिकता में संचालन हेतु स्टाफ सदैव उपलब्ध रखा जाय। **3.** उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने तथा उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा नियमानुसार प्रत्येक छः माह में अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन का इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANIMESH SINGH

B1374B64E9C0B0779B65B10AAEF18DB4B890BE06

23-03-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **23-03-2026**

स्थान : **BARABANKI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.